सार-समाचार

पेंशनर्स में रोष, विरोध जताया

जालोर, (कासं)। राजस्थान पेंशनर समाज, जालोर द्वारा पेंशनर्स के हितों को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया। ज्ञापन में पेंशनर्स ने केंद्र सरकार द्वारा जारी पेंशन संबंधी वैधानिक अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलैक्टर को ज्ञापन सौपा। पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह अधिनियम पेंशनर्स के बीच भेदभाव पैदा करता है और इससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। उन्होंने कहा कि पेंशन एक सामाजिक कल्याणकारी व्यवस्था है, जिसे समाप्त या कमजोर करना न्यायसंगत नहीं है। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि पेंशन को कर्मचारियों का अधिकार माना गया है, जिससे उन्हें बुढापे में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का सहारा मिलता है। पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि नए प्रावधानों से 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच असमानता बढेगी, जो अनुचित है। उन्होंने मांग की कि इस प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को तुरंत समाप्त किया जाए। इस विरोध के तहत 25 मार्च 2026 को काला दिवस के रूप में मनाते हुए पेंशनर्स ने सरकार से अपील की कि वह इस अधिनियम को तुरंत वापस ले और सभी पेंशनर्स को समान लाभ प्रदान करे। ज्ञापन के अंत में पेंशनर समाज ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

तापी बावड़ी का कार्य फूरा करने की मांग

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर शहर जिला कांठोस कमेटी के जिला अध्यक्ष ओंकार वर्मा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर भीतरी शहर क्षेत्र में स्थित प्राचीन धरोहर तापी बावड़ी का पुनरोद्धार निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2022 मे ऐतिहासिक तापी बावड़ी का पुनरुद्धार कार्य प्रारम्भ किया था। लेकिन पिछले चार वर्षो से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। इसके कारण तापी बावड़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। यहां के क्षेत्रवासी भी परेशान हो रहे है। जिला अध्यक्ष ओंकार वर्मा ने बताया कि लगभग 400 वर्ष पुरानी तापी बावड़ी के पुनरुद्धार का कार्य जो रोका गया है, उसे तुरंत प्रभाव से नियमित रूप से निर्माण कार्य करवा कर प्राचीन धरोहर को नष्ट होने से बचाया जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सक्षम अधिकारी को नियुक्त कर निर्माण कार्य क्यों बंद किया गया है उसकी मौका रिपोर्ट नोडल एजेन्सी से मंगवाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे। प्रदेश सचिव ब्रजेश पुरोहित ने बताया कि इस अवसर पर ज्ञापन देने में अनिल जोशी सुनील बोहरा अब्दुल गनी फौजदार दीपक पंवार सचिव धर्मेन्द्र राठौड़ , नटवर शर्मा, मीठालाल परिहार चन्द्रशेखर पुरोहित, श्रवण विश्नोई, भवानी जयपाल, कुलदीप मरवण ओमप्रकाश बिश्नोई लखाराम चौधरी, शिवाजी सहित अनेक लोग मौजूद थे।

जोधपुर में रामनवमी पर शोभायात्रा आज

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में रामनवमी के मौके पर गुरुवार को शोभायात्रा निकाली जाएगी। श्री रामनवमी महोत्सव समिति विश्व हिंदू परिषद जोधपुर महानगर के तत्वावधान में आयोजित इस शोभायात्रा में 400 से अधिक झाकियों को पंजीकृत किया जा चुका है। खास बात ये है कि शोभायात्रा में उत्तर से लेकर दक्षिण की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश के कलाकार भी शामिल होंगे। हालांकि इस बार रामनवमी तिथि को लेकर भी अलग-अलग मत हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की ओर से 26 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने का निर्णय किया गया है। शोभायात्रा में सामाजिक जागरूकता का संदेश देती झांकियां भी शामिल होंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के कलाकारों की ओर से तुलजा भवानी की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। वहीं, दक्षिण की संस्कृति को पश्चिम से जोड़ने को लेकर उड़ीसा पुरी के जगन्नाथ, तमिलनाडु के वेंकटेश्वर, रंगनाथ के रंग स्वामी, मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति बालाजी के साथ 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम की विशेष झांकियां भी शामिल की जाएगी। वहीं केरलम, आंध्रप्रदेश के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे।

मंडिया रोड पर फैक्ट्री में लगी आग

पाली,, (नि.सं.)। पाली शहर के मंडिया रोड स्थित 'पद्मावती टेक्सटाइल' फैक्ट्री में बुधवार सुबह अज्ञात कारणों के चलते अचानक भीषण आग लग गई। ओर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलते ही नगर निगम और रीको की 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। फैक्ट्री के अंदर रखे कपड़े को फैक्ट्री प्रशासन और श्रमिकों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है।बता दे कि फैक्ट्री में ऑयल मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैली गई ! घटना को देख घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की भीड़ को घटना स्थल से दूर किया। फैक्ट्री मालिक के अनुसार उन्हें सूचना दी गई कि फैक्ट्री में आग लग गई है। जिसमें कपड़े की गांठे व अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गए, जिसके चलते लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। तो वही पुलिस आग लगने का कर्म का पता लगाने में अनुसंधान जारी है।

धवा में साइकिल वितरण कार्यक्रम हुआ

जोधपुर, (कासं)। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धवा में ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम बुधवार को संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर पटेल ने कहा दो वर्ष में 13 लाख 85

'पुलिस केस डायरी में जज के व्यवहार की शिकायत अवमानना नहीं'

- **जस्टिस फरजंद अली व जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने मांडलगढ़ के तत्कालीन सीनियर सिविल जज एवं एसीजेएम के भेजे गए संदर्भ पर दर्ज क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन को खारिज कर दिया**

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि पुलिस जांच के दौरान केस डायरी में पीठासीन अधिकारी (जज) के व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर दिए गए बयान आपराधिक अवमानना नहीं हैं।

जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के तत्कालीन सीनियर सिविल जज एवं एसीजेएम की ओर से भेजे गए संदर्भ पर दर्ज क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने इस रिपोर्टेबल फैसले के माध्यम से सात पुलिस अधिकारियों तत्कालीन एएसपी दिलीप कुमार सैनी, एसएचओ भूराराम खिलेरी, मेघाराम, नाथूसिंह, रामसिंह, गोपाललाल और सरोज के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।

यह पूरा विवाद मांडलगढ़ थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। इसमें रेप, धोखाधड़ी और विशेष रूप से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना व महिला का अपमान जैसे गंभीर धाराओं में जांच चल रही थी। वादी पक्ष का आरोप था कि तत्कालीन थानाधिकारी भूराराम खिलेरी ने उनकी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की। इस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने इस्तगासा के जरिए मामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया था। इसके बाद जांच की प्रोठोस से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने आठ जुलाई 2019 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) को एसएचओ की भूमिका की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना में जब एएसपी ने सीनियर पुलिस अधिकारी के तौर पर जांच शुरू की तो एसएचओ सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने केस डायरी में अपने बयान दर्ज कराए। इन बयानों में पुलिसकर्मियों ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी उनसे व्यक्तिगत रूप से नाराज हैं और अक्सर दुर्व्यवहार करते हैं। इन्ही सीमित बयानों को पीठासीन अधिकारी ने संस्था का अपमान मानते हुए हाईकोर्ट में अवमानना का संदर्भ भेज दिया था।

हाईकोर्ट ने न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 2(सी), धारा 6 की सूक्ष्म व विस्तृत व्याख्या की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक अवमानना तब बनती है जब किसी कृत्य से न्याय प्रशासन में बाधा डालने की वास्तविक प्रवृत्ति या मंशा हो। अधिनियम की धारा 6 के तहत, यदि निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ सद्भावना में वरिष्ठ फोरम को शिकायत की जाती है, तो वह अवमानना के दायरे में नहीं आता है। हालांकि कड़ी चेतावनी भी दी कि दुर्भावनापूर्ण या बेबुनियाद आरोपों को यह कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। साफ किया कि वह पीठासीन अधिकारी पर लगे आरोपों के सच या झूठ होने पर कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा है। कोर्ट ने केवल यह तय किया कि आधिकारिक जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारी को दिए बयान अवमानना की वैधानिक परिधि में नहीं आते।

आवश्यक सुविधाएं देने के दिए निर्देश

जालोर, (कासं)। जिले में इन दिनों तापमान में बढोतरी हुई है। वर्तमान में तापमान 35 डिग्री से अधिक रहने लगा है। ऐसे में मनरेगा लोकपाल ने मनरेगा श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर सभी विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए है।

मनरेगा लोकपाल नैनसिंह शंखवाली ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर श्रमिकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता की जानकारी मिलने पर संज्ञान लेकर जिले की सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को बुधवार को निर्देश जारी किए गए है। जिले में इन दिनों बढती हुई गर्मी को देखते हुए मनरेगा कार्यस्थल पर छाया, पानी, मेडिकल व आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बड़ली के आवासों का आवंटन, आवंटियों का हुआ सपना साकार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री जन आवास योजना ग्राम बड़ली योजना में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी के निर्मित आवासों के लिए सम्पूर्ण राशि जमा करवा चुके आवंटियों के लिए "गृह गौरव: खुशियों की चाबी" कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जेडीए कार्यालय में आयोजित समारोह मे संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा अपने कर-कमलों से आवंटियों को निर्मित आवासों की चाबियों का आवंटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी, सचिव श्रीमती चंचल वर्मा, उपसचिव श्रीमती कंचन राठौड़, निदेशक अभियांत्रिकी महेन्द्र सिंह पंवार, उपायुक्तगण वीरेन्द्र सिंह, रामजी भाई कलबी, मुकेश बारेठ, अदिति पुरोहित, दिनेश कुमार मीणा, पूर्व प्रधान लूणी, तुलसीराम मेघवाल, जेडीए अधिकारीगण, कर्मचारीगण सहित योजना के आवंटी एवं आमजन मौजूद रहे। जोगाराम पटेल द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं में द्रुत गति से मूलभूत सुविधाओं एवं विकास के कार्य करवाने तथा योजनाओं को अन्तिम चरण तक पहुचाने के साथ-साथ योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी की प्रशंसा की गई। विधि एवं न्याय मंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकल्प के तहत् मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को अपने सपनों का घर मिले, इस हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण निरन्तर कार्यरत है।

प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि जेडीए द्वारा सीएमजेएवाई 2015 ग्राम बड़ली योजना के तहत् 768 ईडब्ल्यूएस एवं 448 एलआईजी कुल 1216 आवासों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 320 आवासों का निर्माण एवं मूलभूत सुविधाओं के इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य भी पूर्ण करवाया जा चुका है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा बुधवार को आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 25 एवं अल्प आय वर्ग के 13 सहित कुल 38 मूल आवंटियों जिन्होंनें सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी है, को ग्राम बड़ली में निर्मित आवासों की चाबियां सुपुर्द की गई। प्राधिकरण द्वारा योजना के शेष पूर्ण हुए आवासों को भी आगामी एक माह में आवंटित कर दिया जाएगा।

सचिव चंचल वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के आवंटियों को राहत प्रदान करने हेतु 31 मार्च 2026 तक बकाया राशि जमा करवाने पर ब्याज/पेनल्टी पर शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। आवंटियों द्वारा 31 मार्च 2026 तक बकाया समस्त किस्त राशि योजना के एस्क्रो खाते में जमा करवाकर राशि जमा की रसीद जेडीए कार्यालय के कमरा सं.106 में प्रस्तुत करें तथा अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए जेडीए कार्यालय के कमरा सं.106 में सम्पर्क करें।

दृष्टिबाधित श्रेणी में नियुक्ति से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जोधपुर, (कासं)। दृष्टिबाधित (ब्लाइंड/निम्न विजन) श्रेणी में नियुक्ति से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए प्रतिवादी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही न्यायालय ने एक पद को अगली सुनवाई तक आरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं।

मामले में निम्मी चौबीसा की ओर से रिट याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह शेखावत एवं गुलाब सिंह नरुका ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी विभाग द्वारा शिक्षक ठोड थर्ड लेवल-प्रथम एवं द्वितीय के पदों के लिए जारी विज्ञिप्त में याचिकाकर्ता ने भाग लिया था, लेकिन मेरिट में होने के बावजूद उसे पात्र नहीं माना गया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने यह भी अवगत कराया कि पूर्व में प्रतिवादियों ने उसे अंधे/कम दृष्टि श्रेणी में विचार किए जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस आदेश को एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 19524/2025 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिस पर न्यायालय की समन्वय पीठ ने 17 जुलाई 2025 को आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता को उक्त श्रेणी में पात्र माना और उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने के निर्देश दिए थे। अधिवक्ता ने आगे बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रतिवादियों ने प्रकरण पर पुनः विचार किया, लेकिन 26 फरवरी 2026 के आदेश के जरिए यह कहते हुए उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी कि याचिकाकर्ता संशोधित परिणाम के अनुसार निर्धारित कट-ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर सकी।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि समान परिस्थितियों वाले अन्य अभ्यर्थियों को पूर्व की मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति दी जा चुकी है, ऐसे में विभाग अपनी त्रुटि का खामियाजा याचिकाकर्ता पर नहीं डाल सकता। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी किया गया है। अंतरिम आदेश में न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सामान्य ईडब्ल्यूएस टीएसपी अंधे/कम दृष्टि श्रेणी का एक पद आगामी आदेश तक याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखा जाए।

पुल के निमार्ण कार्य का भूमि पूजन

आहोर., (निसं)। विधानसभा क्षेत्र में आज विकास को नई दिशा देते हुए विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने आहोर से छिपरवाडा मार्ग पर जवाई नदी के ऊपर बनने वाले अटल पुल निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पुल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में बडी सुविधा मिलेगी और विशेषकर बरसात के दिनों में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान विधायक राजपुरोहित ने उपस्थित ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी जनसमस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सडक, पुल और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

इस अवसर पर निवर्तमान चेयरमैन सुजाराम प्रजापत, विधानसभा संयोजक बिशनसिंह सोलंकी, मंडल अध्यक्ष ,पूर्व मंडल अध्यक्ष हकमाराम प्रजापत, प्रदेश महिला मोर्चा की डॉ. मंजू मेघवाल, सरपंच मोहनसिंह, शांतिलाल, हेमाराम प्रजापत, कानाराम दमामी, रिखबेश सुथार, सवाईसिंह, शंकरदान चारण, हिम्मताराम मेघवाल, मीठालाल मेघवाल, सूर्यपालसिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता एवं बडी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

ग्रामीणों ने पुल का निर्माण कार्य शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विधायक का आभार जताया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुल क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की

बालोतरा, (निसं)। बालोतरा जिले में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने और जल संकट से निपटने के लिए विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने जनप्रतिनिधियों एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर रोक को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई।

विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने कहा कि वर्तमान में परियोजना से जिले को अपेक्षाकृत कम जलापूर्ति मिल रही है, ऐसे में इसके विकल्प तैयार किए जाएं ताकि आमजन को पर्याप्त पानी मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा जारी राशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की पेयजल समस्याएं सामने रखीं, जिस पर समाधान के लिए मंथन किया गया। विधायक ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही खराब पडे हैंडपंपों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि जल का मितव्ययता से उपयोग किया जाए और हर नल पर टोटी अभियान को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने आमजन से भी सहयोग की अपील करते हुए जल बचाने की आवश्यकता बताई।

विधायक डॉ. चौधरी ने जल चोरी और पेयजल के व्यावसायिक उपयोग पर कडी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जाए और लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध जल कनेक्शनों पर एफआईआर दर्ज करने और जुर्माना वसूलने के भी निर्देश दिए गए।

इसके अलावा, जलदाय विभाग एवं परियोजना अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने, सूचना तंत्र को मजबूत बनाने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया, ताकि हर घर जल का लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके।

बैठक में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ किया जाएगा।

बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीराराम कलबी, अतिरिक्त जिला कलक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूल सिंह, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता बाबूलाल मीणा, छत्राराम, भाजपा जिला अध्यक्ष भरत मोदी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं जल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री जोधपुर आएंगे

जोधपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 मार्च को जोधपुर के संक्षिप्त प्रवास पर रहेंगे तथा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री सुबह 10.45 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा वहां से प्रस्थान कर 11 बजे हैलीपेड शिकारपुरा (लूणी) पहुंचेंगे। इसके पश्चात वे 11.10 बजे श्री राजाराम आंजना आश्रम शिकारपुरा पहुंचकर संत राजाराम महाराज की समाधि के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा राजाराम आंजणा आश्रम ट्रस्ट, शिकारपुरा में राजाराम महाराज के 144वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 12.40 बजे शिकारपुरा हैलीपेड से प्रस्थान कर 12.50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे दोपहर एक बजे घंटाघर, नई सडक़ क्षेत्र में आयोजित राम नवमी शोभायात्रा एवं पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।

विहर्ष सागर का मंगल प्रवेश 28 को

जोधपुर, (कासं)। भारत गौरव, राष्ट्रसंत, दिगंबर जैनाचार्य विहर्ष सागर महामुनिराज संघ का भव्य मंगल प्रवेश 28 मार्च, शनिवार को जोधपुर नगरी में होने जा रहा है। श्री दिगंबर जैन पंचायत समाज, जोधपुर द्वारा इस अवसर पर एक विशाल अभिनंदन व स्वागत यात्रा का आयोजन किया जाएगा। श्री दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष दीपक गोधा और मंत्री डॉ. निखिल डूंगावत ने बताया कि आचार्य संघ का मंगल प्रवेश प्रातः 8 बजे रोटरी सर्कल से शुरू होगा। यहाँ से भव्य स्वागत जुलूस डी.आर.एम. ऑफिस और ओलंपिक चैराहा होते हुए रेलवे स्टेशन के सामने स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुँचेगा। यात्रा के दौरान जगह-जगह गुरुदेव की आरती व पाद प्रक्षालन किया जाएगा।

विमल मूंदडा का स्वागत

पाली, (नि.सं.)। अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विमल मूंदड़ा का डिस्ट्रिक्ट क्लब पाली डायरेक्टर पद पर मनोनीत होने पर स्वागत हुआ।

सम्मन बनाम मुद्दायलाह बिनावर काबमी तनकीयात

(आर्डर नियम 1 व 5 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय, जालोर इजलाम सहायक कलेक्टर, (एस.डी.ओ.) जालौर

मुद्दई- रणछोडलाल बनाम बंशीलाल बगैरा दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या-राजस्व वाद संख्या-12/2025

बनाम

मुसम्मी कमला पुत्री स्वर्गीय राजीबाजी पत्नी लेहरीराम जी, सुकी पुत्री स्वर्गीय राजीयाजी पत्नी प्रेमाराम जी, जातियान-माली निवासीगण- भैसवाडा तहसील-आहोर जिला जालोर, सुन्दर पुत्री स्वर्गीय राजीयाजी पत्नी चौबारामजी जाति-माली निवासी माथोपुरा तहसील आहोर जिला जालोर ने हरगाह की वादी ने आपके खिलाफ एक दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दायर किया है लिहाजा आपको ब-जरिये इस तहरीर के दावे की जवाब देही के लिये तारीख 07 माह 01 सन् 2026 को दिन के 11.00 ए एम बजे अदालत हाजा में असालतन या मारफत ऐसे वकील के जो हालत मुकदमें के वाकिफ किया गया हो व कुल अभूर अदम मुताबिक जवाब दे सकें, या जिसके साथ ऐसा कोई शख्स हो जो ऐसे सवालात का जवाब दे सकें हाजिर रहने के लिये तलब किया जाता है और आपको हिदायत दी जाती है कि जुमला दस्तावेजात जिस पर आप अपनी जवाबदेही का साईद में इस्तेमाल करना चाहता हो तो उस दिन पेश करों।

आगाह रहो कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न हुए तो दावा आपको गैर हाजरी में सुना व फैसला किया जायेगा।

बसिब्त मेरे दस्तखत व अदालत के आज तारीख 24 माह 03 सन् 2026 को जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-रीडर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जालौर

कार्यालय राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जालोर (राज.)

जिला चिकित्सालय परिसर जालोर, राजस्थान-343001

फोन नं. 02973-294370 ई-मेल- gconjalore@gmail.com

क्रमांक-संस्था/2025-26/320 **विज्ञप्ति** दिनांक-23.03.2026

राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जालोर में निम्नांकित संवर्ग में स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्मिक विभाग जयपुर के परिपत्र एफ 17(10)/डीओपी/ए-11/94 दिनांक 28.03.2023 के प्रावधानों अन्तर्गत राज्य सेवा से सेवा निवृत कार्मिकों के आवेदन आमंत्रित किय जाते है-

क्र.सं.	पदनाम	वांछित योग्यता
01	Executive assistant	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से लिपिकीय संवर्ग से सेवानिवृत हुए कार्मिक जिन्हे लिपिकीय कार्य करने का व्यापक अनुभव हो। आवेदक को कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण का ज्ञान हो अपेक्षित है।
02	Asst. Librarian	राज्य सरकार के विभिन्न विभागां से पुस्तकालय संवर्ग में सेवानिवृत हुए कार्मिक जिन्हें पुस्तकालय से संबंधित समस्त कार्यो का व्यापक अनुभव हो।

कार्मिक विभाग के परिपत्र 28.03.2023 के तहत पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले सेवानिवृत कार्मिक की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा आवेदक को राजमेस द्वारा निर्धारित किया गया समेकित पारिश्रमिक देय होगा तथा शेष शर्ते कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार लागू होगी। आवेदन का प्रारूप कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। इच्छुक सेवानिवृत कर्मचारी दिनांक 30.03.2026 तक राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जालोर में पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है।

कार्यालयध्यक्ष, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जालोर